पत्रांक - विधि- 1(3)ईंट भट्ठा//2016-17// 3725 // वाणिज्य कर ।

कार्यालय: कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
(विधि-अनुभाग)
दिनांक:: लखनऊ, 10 फरवरी, 2017

समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक),
समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण),
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर (कर निर्धारण),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

शासन द्वारा सीजन वर्ष 2016-17 के लिए ईंट भट्ठा समाधान योजना लागू की गयी है, जिसमें 30 प्रतिशत समाधान राशि सहित प्रार्थना पत्र दिये जाने की अंतिम तिथि 20.01.2017 निर्धारित की गयी थी तथा उक्त तिथि के पश्चात् 30 दिन के अन्दर इस अवधि के लिये देय समाधान राशि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करके समाधान योजना का विकल्प प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब भी इसे स्वीकार किये जाने के निर्देश दिये गये थें ।

उपर्युक्त समाधान योजना की समीक्षा पर पाया गया कि दिनांक 03.02.2017 तक कुल कार्यरत 16895 ईंट भट्ठों में से मात्र 7438 ईंट भट्ठों द्वारा ही समाधान योजना अपनायी गयी है । गाजियाबाद प्रथम व द्वितीय, गौतमबुद्ध नगर, आगरा एवं मेरठ जोन में कार्यरत ईंट भट्ठों में से 30 प्रतिशत से भी कम ईंट भट्ठों द्वारा समाधान योजना अपनायी गयी है । यह स्थिति नितांत खेदजनक है । अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधिक्षेत्र के सभी ईंट भट्ठों से ब्याज सहित देय समाधान राशि जमा कराते हुए समाधान प्रार्थना पत्र दिनांक 19.02.2017 से पूर्व जमा कराना सुनिश्चित करें तथा जिन कर निर्धारण अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में समाधान योजना न अपनाने वाले ईंट भट्ठों की संख्या अधिक पायी जाएगी, उनके विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ।

10/02/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।